

विधान परिषद के द्वितीय सत्र -2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तरालेख।

प्रश्न

12(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० में राज्य मार्ग जिला मार्ग व अन्य ऐसे मार्ग जो रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े हैं और जहाँ टी०वी०यू० एक लाख से अधिक है वहाँ ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाने की योजना है ?

(ख) यदि हाँ, तो जनपद-लखीमपुर खीरी व सीतापुर में उक्त योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले ओवर ब्रिज व अंडर पास की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?

(ग) इस योजना से बनाये जाने वाले ओवर ब्रिज व अंडर पास को बनाये जाने की कोई समय सीमा है ?

(घ) यदि नहीं, तो समय सीमा निर्धारित करायेंगे ?

उत्तर

प्रदेश में एक लाख से अधिक टी०वी०यू० वाले सम्पारों पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण रेलवे से निर्माण लागत में सहभागिता के आधार पर प्रदेश के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की राज्य योजनान्तर्गत नये रेल उपरिगामी सेतुओं की कार्ययोजना अभी अन्तिमीकृत नहीं हुई है।

प्रत्येक रेल उपरिगामी सेतु की लम्बाई, चौड़ाई व भूमि की उपलब्धता के अनुसार पूर्णता अवधि पृथक-पृथक व सामान्यतः 24 से 30 माह होती है।

उपरोक्तानुसार।

बृजेश सिंह
राज्यमंत्री
लोक निर्माण विभाग।